

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 918/जी-756/2009/1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक 30 जून, 08

ति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ. सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के मामले में 2007 की रिट याचिका सं. 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 3.4.2008 का निर्णय।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली प्राप्त पत्र क्रमांक 1/7/2009-आई.आर., दिनांक 01 जून 2009 की ~~अवगति आवश्यक कार्यवाही~~ हेतु संलग्न प्रेषित है।

लग्न:-उपरोक्तानुसार

सही

(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक जून, 2009

क्रमांक /जी-756/2009/1-सूअप्र

लिपि :-

श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/7/2009-आई.आर., दिनांक 01 जून 2009 के संदर्भ में सूचनार्थ।

सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संगत मन्त्र